## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1259 / 2023 / 10–11 / 3173 भोपाल, दिनांक 23-7-23

प्रेषकः–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

**विषयः– धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर–धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेल्वे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/RAIL/154962/2022)**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/6-MPR015/2023-BHO दिनांक 22.05.2023 .

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 18 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र. | बिन्दु | प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1 | Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (full project KML file) shall be submitted/ uploaded. | आवेदक संस्थान द्वारा पूर्ण KML file ऑनलाईन भाग–1 में अपलोड कर दी गई है। |
| 2 | It is a new railway line project, so alternative alignment with comparative statement shall be submitted. | आवेदक संस्थान द्वारा अन्य विकल्पों की KML file ऑनलाईन भाग–1 में अपलोड कर दी गई है एवं comparative statement ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम के बिन्दु क्रमांक 12 पर अपलोड किया गया है। |
| 3 | KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded. | आवेदक संस्थान द्वारा अन्य विकल्पों की KML file ऑनलाईन भाग–1 में अपलोड कर दी गई है। |
| 4 | Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted. | आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि रेल्वे लाईन के निर्माण के दौरान निकलने वाले muck की मात्रा 145 लाख घन मीटर होगी। इस निर्माण कार्य में फिलिंग की मात्रा 175 लाख घन मीटर है। अतः उत्पादित muck की पूर्ण मात्रा का उपयोग फिलिंग कार्य में ही किया जावेगा। अतः muck disposal योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। |

-2-

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded. | आवेदक संस्थान द्वारा वन मण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित Justification प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। |
| 6 | No objection certificates of concerned department (Road, WRD, TL, etc) shall be submitted. | आवेदक संस्थान द्वारा No objection certificates ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम के बिन्दु क्रमांक 13 पर अपलोड किया गया है। |
| 7 | The submitted Cost-Benefit analysis is not for this proposal and not as per revised NPV rates. So, revised Cost-Benefit analysis shall be submitted. | आवेदक संस्थान द्वारा Cost-Benefit analysis ऑनलाईन भाग–1 में अपलोड किया गया है एवं कर ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम के बिन्दु क्रमांक 11 पर भी अपलोड किया गया है। |
| 8 | Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted. | आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्रकरण में रेल्वे लाईन का निर्माण ही किया जावेगा। Component wise breakup ऑनलाईन भाग–1 के बिन्दु क्रमांक B-2.4 में भी उल्लेख किया गया है। |
| 9 | Administrative approval/ sanction letter from competent authority of the project shall be submitted. | आवेदक संस्थान द्वारा रेलवे विभाग की प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाईन भाग–1 के एडीशनल कॉलम के बिन्दु क्रमांक 14 पर अपलोड किया गया है। |
| 10 | As per the covering letter of proposal, the UA violated the rules and constructed the line in 4.50 ha of forest area (about 695m) in Alirajpur Forest Division Regarding Action Taken Report shall be submitted. | वनमण्डलाधिकारी, अलीराजपुर ने अवगत कराया है कि यह वनखण्ड वर्ष 1961 में अधिसूचित हुआ है। इस वनखण्ड के अधिसूचित होन के बाद इसे राजस्व रिकार्ड में वन के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। इस कारण यह वनभूमि राजस्व रिकार्ड में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है।<br>वनमण्डलाधिकारी, अलीराजपुर ने यह भी अवगत कराया है कि इस कक्ष के कुल रकबे 197.54 हेक्टेयर में से 117.14 हेक्टेयर में अतिक्रमण है तथा 80 हेक्टेयर वनभूमि ही वन विभाग के अधिपत्य में है। आवेदक संस्था द्वारा अलीराजपुर वनमण्डल में आवेदित 6.654 हेक्टेयर में से 4.5 हेक्टेयर वनक्षेत्र में अतिक्रमण है। इसे अतिक्रमण क्षेत्र में आवेदक संस्था द्वारा इसे राजस्व भूमि मानते हुये निर्माण कार्य किया है।<br>अतः प्रकरण में रेलवे के अधिकारियों की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में दोषी वन अधिकारियों/कर्मचारियो पर पृथक से कार्यवाही की जा रही है।<br>वनमण्डलाधिकारी, अलीराजपुर का पत्र दिनांक 19.05.2023 की प्रति संलग्न है। |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | The proposed diversion area is 05 (five) meter away from Lalgarh Fort and 500 meter away from Ganga Mahadev temple. Regarding NOC from competent authority shall be submitted. | आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि लालगढ़ किला प्रस्तावित भूमि से 5 कि.मी. की दूरी पर है एवं गंगा महादेव मंदिर 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेल्वे विभाग द्वारा इस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा। |
| 12 | As per SIR of Dhar DF0, some dependent persons are involved in proposed diversion area Regarding rehabilitation plan shall be submitted. | आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि रेल्वे लाईन के निर्माण में प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित वन अधिकार पत्र धारकों को नियमानुसार मुआवजा प्रदाय किया जावेगा। |
| 13 | The permanent employment generation is zero and temporary men days are only 1500. It shall be clarified | आवेदक संस्थान द्वारा Employment likely to be generated की जानकारी ऑनलाईन भाग–1 में अपलोड कर दी गई है। |
| 14 | Complete CA schemes & Maps alongwith a patch of 12.00 ha of Dhar Division shall be uploaded. | प्रकरण में निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु संशोधित KML file एवं मानचित्र ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दी गई है। |
| 15 | The KML area for CA of Dhar division does not matched with their CA scheme. So, the KML files shall be uploaded in accordance to CA schemes. | प्रकरण में निर्देशानुसार संशोधित KML file एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दी गई है। |
| 16 | KML file of CA area for Alirajpur forest division shall be uploaded on web portal. | अलीराजपुर वन मण्डल की वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु KML file ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दी गई है। |
| 17 | As per DSS analysis, the CA area of Sardarpur PF-459 is overlapping with another proposal of CA area (FP/MP /TRANS/ 156656/2022, Area 6.45 ha). The DFOs shall recheck all CA areas & rectified the same and also submit a certificate that CA areas are not overlapping with another CA | प्रकरण में निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु KML file में सुधार कर ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड कर दी गई है। |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | As per DSS analysis, CA areas have 38.32 ha agriculture encroachment and 6.39 ha has previous plantation impression. It shall be clarified. | प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण के पूर्व वन अमले द्वारा फेंसिंग के दौरान अतिक्रमण हटा दिया जावेगा। |

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

23/7/2023

(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 23-7-23

पृ. क्रमांक/एफ–5/1259/2023/10–11/3174

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण–II), पश्चिम रेल्वे, बड़ोदरा।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

23/7/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल